



थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अवैध शराब भट्टी का भांडाफोड, 04 अभियुक्तगण 25 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार।

आज दिनांक 05.09.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिजनौर व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा चलाये जा रहे अभियान में जेल से रिहा अभियुक्त, वांछित, सक्रिय अपराधी व अवैध शराब बिक्री व शराब बनाने वाले के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान क्षेत्राधिकारी अफजलगढ के कुशल निर्देशन में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना पर ग्राम महसनपुर से 04 अभियुक्त 1.रामेश पुत्र पाच्चा 2.राजू पुत्र रामेश निवासी गण ग्राम महसनपुर थाना अ0गढ बिजनौर 3.सोनू पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम श्यामाबाद थाना स्यौहारा जिला बिजनौर 4.सुरेश पुत्र हरकरन सिंह निवासी ग्राम अदलपुर थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद को 25 ली0 कच्ची शराब खाम 02 प्लास्टिक जरीकैन में लगभग 300 ली0 लहन, शराब बनाने के उपकरण-(तस्ला,मिट्टी का पात्र मय चपनी मय पाईप,एक प्लास्टिक बाल्टी,एक स्टील जग, एक एल्यूमिनीयम का पतीला ,कन्सतर) सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 267/2021 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। लगभग 300 ली0 लहन मौके पर ही नष्ट किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1-मु0अ0सं0 267/2021 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना अफजलगढ (बिजनौर)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. रमेश पुत्र पाच्चा निवासी ग्राम महसनपुर थाना अ0गढ बिजनौर ।
2. राजू पुत्र रामेश निवासी ग्राम महसनपुर थाना अ0गढ बिजनौर ।
3. सोनू पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम श्यामाबाद थाना स्यौहारा जिला बिजनौर ।
4. सुरेश पुत्र हरकरन सिंह निवासी ग्राम अदलपुर थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1 लगभग 25 ली0 अवैध कच्ची शराब,
- 2 लगभग 300 ली0 लहन मौके पर नष्ट
- 3 शराब बनाने के उपकरण (तस्ला,मिट्टी का पात्र मय चपनी मय पाईप,एक प्लास्टिक बाल्टी,एक स्टील जग, एक एल्यूमिनीयम का पतीला ,कन्सतर)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीन मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. का0 2008 शिवकरण थाना अ0गढ जनपद बिजनौर ।
3. का0 2137 रवि कुमार थाना अ0गढ जनपद बिजनौर ।
5. रि0का0 2323 निमित उज्जवल थाना अ0गढ जनपद बिजनौर ।



थाना स्योहारा पुलिस द्वारा चोरी की 02 मोटर साईकिल सहित 01 शाकिर चोर गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी, धामपुर के कुशल नेतृत्व में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ग्राम बगवाडा नहर पुलिया के पास से अभियुक्त शाकिर पुत्र लियाकत नि० मौ० कस्बा व थाना स्योहारा जिला बिजनौर को चोरी की मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस रजि० नं० यूपी21एएच6976, चेचिस नं० एमबीएलएचए10ईजैडएचके98738, इन्जन नं० एचएएनईएफएचके85516 सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशादेही पर ग्राम बगवाडा के पास सडक किनारे खण्डरनुमा मकान से अपाचे मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट चेचिस नं० एमडी634बीई41जे2ई90345, इन्जन नं० बीई4ईजे2290244 को बरामद किया गया। बरामद मो०सा० स्पलैण्डर प्लस की चोरी के सम्बन्ध मे थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद पर मु०अ०सं० 206/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त शाकिर उपरोक्त से चोरी की मो०सा० बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 493/21 धारा 411/413/414/420/483 भादवि पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:—

1 शाकिर पुत्र लियाकत नि० मौ० कस्बा व थाना स्योहारा जिला बिजनौर

बरामदगी का विवरण

1. मोटर साईकिल स्पेलण्डर प्लस रजि० नं० यूपी21एएच6976, चेचिस नं० एमबीएलएचए10ईजैडएचके98738, इन्जन नं० एचएएनईएफएचके85516 सम्बन्धित मु०अ०सं० 206/21 धारा 379 भादवि थाना स्योहारा बिजनौर ।
2. मोटर साईकिल अपाचे बिना नम्बर प्लेट चेचिस नं० एमडी634बीई41जे2ई90345, इन्जन नं० बीई4ईजे2290244

आपराधिक इतिहास

- 1 मु0अ0सं0 645 / 18 धारा 420 / 413 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2 मु0अ0सं0 640 / 18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा बिजनौर
- 3 मु0अ0सं0 493 / 21 धारा 411 / 413 / 414 / 420 / 483 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4 मु0अ0सं0 206 / 21 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष आशीष कुमार तोमर
2. उ0नि0 श्री वसीम अकरम
3. है0का0 197 जयचन्द
4. का0 943 रजनीश कुमार



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 05/09/2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्त 1.महावीर पुत्र स्वरूप सिंह 2. विजेन्द्र पुत्र पतराम सिंह 3.जवाहर पुत्र वैशाखा 4.संजय पुत्र जवाहर 5.गेंदा पुत्र राम सिंह निवासीगण ग्राम काद्राबाद खुर्द थाना स्योहारा बिजनौर व 6.मुस्तकीम पुत्र मुन्ने खां निवासी ग्राम मंडोरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।



थाना किरतपुर:- आज दिनांक 05.09.2021 को थाना किरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 184/2021 धारा 363/366/120 बी भादवि में वांछित अभियुक्त राजा पुत्र बबलू निवासी जटनी वाला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना नगीना देहात:- आज दिनांक 05/09/2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त विजय पुत्र कश्मीरी निवासी जलालपुर सुल्तान थाना नगीना देहात को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी के गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना नांगल - आज दिनांक 05.09.2021 को थाना नांगल पुलिस द्वारा 1.आशु पुत्र निपेंद्र 2.निपेंद्र पुत्र सुखनंदन 3.योगेश पुत्र सेवाराम निवासीगण मौहल्ला जोशियान थाना नांगल जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना चांदपुर - आज दिनांक 05.09.2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाना चांदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 545/21 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित दो अभियुक्त 1.इरफान पुत्र बाबू निवासी कस्बा इस्लामपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.रूपचंद पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम बुनद्रा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 05/09/2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.प्रदुमन पुत्र जगबीर सिंह 2.संदीप पुत्र तारीफ सिंह निवासी ग्राम कुड़ी बांगर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट धामपुर भेजा गया।



जनपद बिजनौर

मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत आज दिनांक 05.09.2021 को जनपदीय प्रभारी एन्टीरोमियो टीम द्वारा थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत नगर बिजनौर में काशीराम व आवास विकास कॉलोनी में मिशन शक्ति अभियान से सम्बन्धित पंफलेट वितरित कर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

